ल नंबर यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

अधिवक्ता का

ल नं० 2/270/2022 तारीख रजू

जयराम वगैरा **बनाम** लाली वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
16.09.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। यह प्रार्थना पत्र जब पेश हुआ इसमे केबियटकर्ता पक्ष ने पूर्व मे केवियट पेश की केबियट प्रस्तूतकर्ता की तरफ से एड0 श्री घनश्याम शर्मा उपस्थित। प्रार्थी की ओर से राजेन्द्रसिंह चौधरी एड0 के द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनाये जाने का आग्रह किया गया। न्यायालय द्वारा दोनो उभय पक्षो को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुना गया दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया गया। प्रर्थना पत्र मे प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं प्रार्थी के शपथ पत्र के अनुसार प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी. ख0 नं0 37, 38, 39, 40, 34, वाके ग्राम रिगंसपुरा तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐं कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 22.09.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब हो पत्रावली दिनांक 22.09.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

18/11/22 वकील वादी ....उपस्थित।
सम्बन्धित आदेश ....
की पालना में पत्रावली ... तलबी
दिनांक.......... 6/1/23 .... को पेश हो।

खण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

6/1/23 वकील वादी ....उपस्थित।
सम्बन्धित आदेश दिनांक..........
की पालना में पत्रावली ... तलबी
दिनांक 10/3/23 .... को पेश हो।

[illegible]
[illegible]

10/3/23 पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. ने कार्य
वंचित कर रखा है। P.O.साहब अवकाश मौजूद
हैं। पत्रावली दिनांक 20/4/23 को पेश हो।

20/4/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित
वकील प्रार्थी ने तलबाना पेश करने को
पूर्व में कई अवसर प्रदान किये गये लेकिन
तलबाना पेश नहीं किया। अतः प्रार्थी पक्ष
पर RTA तलबाना पेश नहीं करने पर
डिफाल्ट में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील
हो [illegible] चाहे के संलग्न रहे सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०